

न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) प्रथम, भदोही ज्ञानपुर।

मूलवाद संख्या— 238 सन् 2014

लालमनि—बनाम—उ0प्र0राज्य आदि।

**दिनांक 11.08.2026**

1. पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी उपस्थित।
2. न्यायालय द्वारा बार—बार पुकार कराये जाने के बावजूद भी वादी की ओर से न तो कोई बोल रहा है और न ही कोई स्थगन आवेदन दिया गया।
3. पुनः न्यायालय द्वारा थोड़ी देर बाद पुकार करायी गयी, वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई स्थगन आवेदन दिया गया। इस समय 3.30 पी.एम. हो रहा है, किन्तु वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
4. ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को उक्त वाद आगे चलाये जाने में कोई रुचि नहीं है। अतः वाद वादी की अनुपस्थित में खारिज किये जाने योग्य है।

#### **आदेश**

5. प्रस्तुत मूलवाद वादी की अनुपस्थिति में एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

**दिनांक 11.08.2026**

अपर सिविल जज(जू०डि०)प्रथम,  
भदोही ज्ञानपुर।